क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक – 20 | अक्तूबर 16-31, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

इज़रायल और हमास के बीच जंग को फ़ौरन ख़त्म करने की ज़रूरत है

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 10 अक्तूबर, 2023

इज़रायल और हमास के फ़िलिस्तीनी मुक्ति योद्धाओं के बीच खुलेआम जंग चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ (सं.रा.सं.) को यह सुनिश्चित करने के लिए क़दम उठाने की सख़्त ज़रूरत है कि लड़ाई फ़ौरन समाप्त हो।

2,000 से अधिक इज़रायली और फ़िलिस्तीनी लोग इस जंग में अब तक मारे जा चुके हैं, और कई हज़ार से अधिक घायल हुए हैं। 7 अक्तूबर को हमास के फ़िलिस्तीनी मुक्ति योद्धाओं द्वारा अप्रत्याशित हमले, "ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड" के छेड़े जाने के बाद, इज़रायल ने नागरिक आबादी को निशाना बनाते हुए, गाज़ा पट्टी पर बड़े पैमाने पर हवाई बमबारी शुरू की है। वह गाज़ा पर ज़मीनी आक्रमण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इज़रायल ने गाज़ा पट्टी की पूर्ण नाकाबंदी की घोषणा की है। उसने बीस लाख फ़िलिस्तीनी लोगों, जो वहां बसे हुए हैं, के लिए भोजन, दवाएं, पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति बंद कर दी है। ऐसा करना अंतरराष्ट्रीय क़ानून के मुताबिक जंग-अपराध है।

इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने धमकाऊ घोषणा की है कि उनका देश गाज़ा को एक रेगिस्तानी द्वीप में बदल देगा। यह इस बात की घोषणा है कि उनकी सरकार नरसंहार करने के लिए तैयार है। इस नरसंहार को अंजाम देने से पहले इज़रायल को रोकना होगा।

अमरीकी साम्राज्यवादी और उनके नाटो सहयोगी इज़रायली सरकार का समर्थन कर रहे हैं और मौजूदा जंग के लिए फ़िलिस्तीनी मुक्ति योद्धाओं को दोषी ठहरा रहे हैं। वे पूरी तरह से इज़रायल का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ-साथ, वे तेज़ी से इज़रायल को हथियार भेज रहे हैं ताकि वह फ़िलिस्तीनी लोगों पर अपने नरसंहारक हमलों को अंजाम देने में सक्षम हो सके। यह इज़रायली और फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए बेहद ख़तरनाक है। इससे जंग के फैलने तथा कई और देशों के इसमें शामिल होने की आशंका है।

हमास द्वारा किया गया हमला वेस्ट बैंक और गाज़ा के इज़रायली कब्ज़े वाले क्षेत्रों में इज़रायली सेनाओं द्वारा फ़िलिस्तीनियों की सुनियोजित हत्या के प्रतिशोध में था। इसे 2007 से गाज़ा पट्टी में रहने वाले फ़िलिस्तीनी लोगों पर इज़रायली सरकार द्वारा लगाए गए अमानवीय हवाई, समुद्री और भूमि नाकाबंदी के संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। गाज़ा पट्टी को जेल की तरह चारों ओर से दीवारों में बंद कर दिया गया है। इज़रायल ने गाज़ा पर चार लंबे सैन्य हमले किए हैं : 2008, 2012, 2014 और 2021 में बच्चों सहित, हजारों फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, और हजारों घर, स्कूल, अस्पताल और कार्यालय नष्ट हो गए हैं।

हाल के वर्षों में, नेतन्याहू सरकार ने इज़रायल द्वारा क़ब्ज़ा किये हुए वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में फ़िलिस्तीनी परिवारों को उनके घरों से जबरन विस्थापित करके, इज़रायली बस्तियां स्थापित करने के अपने कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया है। उसने ऐसा किया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार ऐसा करने पर निषेध है। लगभग 7.5 लाख इज़रायली निवासी अब वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम की लगभग 250 बस्तियों में रह रहे हैं। इज़रायल पूर्वी येरुशलम में ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद पर क़ब्ज़ा करने के लिए भड़काऊ गिरोहों को भेजता रहता है। अपनी भूमि, अपने घरों और अपने इबादत के स्थलों की रक्षा करने वाले फ़िलिस्तीनियों पर इज़रायली सेना बेरहमी से हमला करती है और उनकी हत्या करती है।

फ़िलिस्तीन के लोग एक राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व के अधिकार के लिए वीरतापूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। इज़रायल फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को नष्ट करने की नीति अपना रहा है। उसने फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा और गाज़ा की नाकेबंदी को ख़त्म करने से इनकार कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीनी राजदूत ने फ़िलिस्तीनियों के इस प्रतिरोध की हिफ़ाज़त करते हुए कहा है कि, इसे फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इज़रायल के लंबे समय से चल रहे जंग के सन्दर्भ में समझना होगा। "इज़रायल किसी राष्ट्र, उसके लोगों, उसकी भूमि, उसके पवित्र स्थलों पर पूरी तरह जंग छेड़कर, उसके बदले में शांति की उम्मीद नहीं कर सकता है ... फ़िलिस्तीनी लोग एक न एक दिन, किसी न किसी तरह अपनी आज़ादी हासिल करके रहेंगे", उन्होंने कहा।

संयुक्त राष्ट्र संघ को फ़िलिस्तीनी लोगों के अपनी मातृभूमि को स्थापित करने के जायज़ अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। उसे फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर क़ब्ज़े का अंत सुनिश्चित करना होगा और 'दो-राज्य समाधान' के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। उसे 1967 से पूर्व की सीमाओं पर आधारित फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम होगी। केवल यही रास्ता उस क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित कर सकता है।

http://hindi.cgpi.org/23121

कम्युनिस्ट पार्टियों ने पत्रकारों पर हमले की कड़ी निंदा की

3 अक्तूबर को न्यूज़क्लिक और लगभग पचास पत्रकारों व मीडिया से जुड़े पेशेवर लोगों पर, सरकार द्वारा किए गए हमलों के ख़िलाफ़, पूरे देश में जोशीले विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पत्रकारों, ट्रेड यूनियनों, महिला संगठनों, किसान संगठनों, युवा और छात्र संगठनों ने अनेक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

इस मुद्दे पर कम्युनिस्ट और वामपंथी पार्टियों ने मिलकर, 10 अक्तूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता, महिलाएं और युवा शामिल हुए।

इस मीटिंग में न्यूज़क्लिक के संस्थापक तथा मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा की गई और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई। विरोध सभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने "न्यूज़क्लिक पर हमला मुर्दाबाद!", "पत्रकारों पर हमले की निंदा करो!", "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मुर्दाबाद!", "लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मुर्दाबाद" जैसे नारे लगाए। "ज़मीर के अधिकार की रक्षा करो!",

"हमारी एकता ज़िंदाबाद!", और "इंक़लाब ज़िंदाबाद!" सहित अन्य नारों वाले बैनरों और प्लेकार्डों ने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हुये इस क्रूर हमले पर लोगों के गुस्से को बहुत बहादुरी से जाहिर किया और इन हमलों के ख़िलाफ़ अपने दृढ़ संघर्ष को जारी रखने का आह्वान किया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सी.पी.एम.), भारत की कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी-लेनिनवादी (सी.पी.आई.-एमएल), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आर.एस.पी.) ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (ए.आई.एफ.बी.) और हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी (सी.जी.पी.आई.), ने मिलकर इस विरोध प्रदर्शन को आयोजित किया था।

प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में शामिल थे – सी.पी.एम. की कॉमरेड बृंदा करात, सी.पी.आई. की कॉमरेड अमरजीत कौर, सी.जी.पी.आई. के कॉमरेड प्रकाश राव, ए.आई.एफ.बी. के कॉमरेड जी. देवराजन, सी.पी.आई.-एमएल के कॉमरेड रबी राय और आर.एस.पी. के कॉमरेड आर. एस. डागर।

वक्ताओं ने बताया कि यह पत्रकारों और मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक क्रूर हमला है। न्यूज़क्लिक और इन पत्रकारों

शेष पृष्ठ 2 पर

अंदर पढ़ें

- पत्रकारों पर हमले की निंदा 2
- पत्रकारों और मीडिया पर हमले के विरोध में प्रदर्शन 2
- एस.के.एम. ने सरकार द्वारा किसानों पर हमले की निंदा की 2
- संसद का विशेष सत्र 3
- जी-77 का शिखर सम्मेलन 3
- अनौपचारिक मज़दूरों के अधिकारों के संघर्ष में महत्वपूर्ण क़दम 4
- नई शिक्षा नीति को रद्द करो 4
- रेल चालकों का धरना 4
- मज़दूरों और किसानों की मांगें 5
- आयात शुल्कों में कटौती का किसानों द्वारा विरोध 5

पत्रकारों पर हमले की निंदा करें!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का बयान, 6 अक्तूबर, 2023

3 अक्तूबर की सुबह, दिल्ली पुलिस ने समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के कार्यालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व देश के अन्य शहरों में लगभग पचास महिलाओं और पुरुषों के घरों पर छापा मारा। जिन लोगों को निशाना बनाया गया, वे पत्रकार, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और अन्य ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में किसी समय इस मीडिया हाउस के साथ काम किया है। उनके लैपटॉप और मोबाइल ज़ब्त कर लिए गए। पुरुषों को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के लोधी रोड स्पेशल सेल में ले जाया गया और देर शाम तक वहीं हिरासत में रखा गया, जबकि महिलाओं से उनके अपने–अपने आवासों पर पूछताछ की गई। जिस एफ.आई.आर. के तहत ये छापे मारे गए हैं, उसमें कठोर यू.ए.पी.ए. क़ानून के कई प्रावधान शामिल हैं, जो क़ानून आतंकवाद से निपटने के लिए माना जाता है। समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के संस्थापक और मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रभारी अमित चक्रवर्ती को गिरफ़्तार करके पुलिस हिरासत में रखा गया है।

ये घटनाएं पत्रकारों पर तथा मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक खुला हमला है। सभी संकेत यह बताते हैं कि इस समाचार पोर्टल और इन पत्रकारों को निशाना इसलिए बनाया गया है क्योंकि उन्होंने मज़दूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और व्यापक जनता की समस्याएं और चिंता की बातें उठाई हैं, और सरकार व उसके आधिकारिक विवरण को बेनक़ाब करने की जुर्रत की है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इन छापों और गिरफ़्तारियों की निंदा करती है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर ज़बरदस्त हमला मानती है। कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी कठोर यू.ए.पी.ए. क़ानून के प्रयोग की निंदा करती है। यू.ए.पी.ए. क़ानून सिर्फ़ यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है कि गिरफ़्तार किए गए लोगों को जमानत की संभावना के बिना, अनिश्चित काल तक जेल में बंद रखा जा सके। पत्रकारों के ख़िलाफ़ छापेमारी, गिरफ़्तारी और यू.ए.पी.ए. के इस्तेमाल का उद्देश्य उन सभी की आवाज़ को दबाना है, जो सत्ता से असहमति जताने की हिम्मत करते हैं।

ज़मीर का अधिकार एक मानवाधिकार है जिसका हमारे देश के लोगों ने हमेशा अनुमोदन किया है और इसकी हिफ़ाज़त की है, यह मानते हुए कि कोई भी प्राधिकारी किसी भी बहाने से इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी हमारे देश के सभी लोगों से आह्वान करती है कि वे ज़मीर के अधिकार पर केंद्र सरकार के इस खुलेआम हमले का एकजुट होकर विरोध करें।

http://hindi.cgpi.org/24114

पत्रकारों और मीडिया पर हमले के विरोध में प्रदर्शन

पत्रकारों, शिक्षकों, छात्रों, वकीलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पत्रकारों और समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक पर हमले की निंदा की है।

4 अक्तूबर को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के सैकड़ों छात्रों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों के कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों ने जंतर–मंतर पर एक ज़ोरदार विरोध रैली का आयोजन किया। प्रतिभागियों ने पत्रकारों पर हमलों के लिए केंद्र सरकार की निंदा की और जिन पत्रकारों पर हमला हुआ, उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की।

उसी दिन दिल्ली के प्रेस क्लब में पत्रकारों और मीडिया पर हो रहे हमलों की निंदा करने के लिए एक बैठक हुई। इस बैठक में मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के 18 संगठनों की ओर से मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को लिखा गया एक पत्र पढ़ा गया और अनुमोदित किया गया। पत्र में इन मीडिया संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश से मीडिया और पत्रकारों पर हो रहे हमलों से तत्काल निपटने का अनुरोध किया है।

पत्र में, इन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि कुछ ऐसे मानदंड बनाये जायें ताकि पुलिस पत्रकारों के फोन और लैपटॉप को मनमर्ज़ी से ज़ब्त न कर सके, जैसा कि इस समय किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से दिशानिर्देश बनाने को कहा है, कि पत्रकारों से पूछताछ और उनसे बरामदगी करने के क्या क़ायदे होने चाहियें। इसके अलावा, पत्र में अनुरोध किया गया है कि पत्रकारों के पत्रकारीय कार्यों के लिए, उनके ख़िलाफ़ अस्पष्ट और बे–सबूत जांच के ज़रिये अदालतों को गुमराह करने वाली राज्य की एजेंसियों और व्यक्तिगत अधिकारियों की जवाबदेही स्थापित की जाए।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन; इंडियन विमेंस प्रेस कोर; प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली; फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स; नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया; चंडीगढ़ प्रेस क्लब; नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स; दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स; केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स; बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स; फ्री स्पीच कलेक्टिव–मुंबई; मुंबई प्रेस क्लब; अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स; प्रेस एसोसिएशन; गौहाटी प्रेस क्लब; इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन; कोलकाता प्रेस क्लब; और वर्किंग न्यूज कैमरामेन एसोसिएशन (डब्ल्यू.एन.सी.ए.) शामिल हैं।

पत्रकारों पर हमले की निंदा देश के कई अन्य भागों में तथा विदेशों में भी की गयी है।

http://hindi.cgpi.org/24116

कम्युनिस्ट पार्टियों ने पत्रकारों पर हमले की कड़ी निंदा की

पृष्ठ 1 का शेष

को निशाना इसलिए बनाया गया है क्योंकि उन्होंने वर्तमान हालतों में मज़दूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और आम जनता के लिए घोर चिंता के मुद्दों को उठाया है तथा सरकार और उसके आधिकारिक बयानों का पर्दाफ़ाश करने का साहस दिखाया है। उन्होंने छापेमारी व पत्रकारों की गिरफ़्तारियों और उनके ख़िलाफ़ कठोर यू.ए.पी.ए. जैसे काले क़ानूनों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यू.ए.पी.ए. को केवल इसलिये लगाया गया है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गिरफ़्तार किए गए लोगों को जमानत मिलने की संभावना ख़त्म हो जाये और उन्हें अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जा सके। पत्रकारों के ख़िलाफ़ छापेमारी, गिरफ़्तारी और यू.ए.पी.ए. के इस्तेमाल का उद्देश्य है उन सभी की आवाज़ को चुप कराना, जो अपनी असहमति प्रकट करने की जुर्रत करते हैं। वक्ताओं ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की तत्काल रिहाई की मांग की।

इस विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने देश के सभी लोगों से एकजुट होकर, लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ज़मीर के अधिकार पर केंद्र सरकार के बेशर्म हमले का विरोध करने का ज़ोरदार आह्वान किया।

http://hindi.cgpi.org/24154

संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार के हमले का विरोध किया

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), जिसने 2020–21 तक दिल्ली की सीमाओं पर साल भर किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार के निंदनीय हमले के प्रति अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों की आलोचना करते हुए एक कड़ा बयान जारी किया है। एसकेएम ने इन हमलों की निंदा करने के लिए केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

एफआईआर में कहा गया है कि 13 महीने तक चलने वाला किसान आंदोलन ''संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने, हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाने और अवैध विदेशी फंडिंग के जरिए आंतरिक कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा करने'' के लिए था।

एसकेएम ने इन सभी आरोपों को ''साफ तौर पर खारिज'' किया है। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि भाजपा सरकार की ''किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक'' कानूनों और नीतियों के ख़िलाफ़ यह विरोध शांतिपूर्ण था। "किसानों द्वारा कोई आपूर्ति बाधित नहीं की गई। किसानों की किसी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। किसानों की वजह से अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसानों द्वारा कोई कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं की गयी। कंटीले तारों की बाड़ लगाकर, पानी की बौछारें करके, लाठीचार्ज करके और सड़कें खोदकर किसानों को देश की राजधानी तक पहुंचने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने से हिंसक तरीके से रोककर, यह केंद्र सरकार ही है जिसने देश के लोगों और किसानों को भारी असुविधा पहुंचाई है। बयान में कहा गया है।

इसके अलावा, एसकेएम का बयान विभिन्न विरोध स्थलों पर 735 किसानों की मौत और लखीमपुर खीरी घटना का उल्लेख करता है, जहां चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। एसकेएम के बयान में कहा गया है, "यह वह सरकार है जिसने खाद्य उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को हड़पने और कब्जा करने की साजिश रची, जिससे लोगों की खाद्य सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई।"

किसान आंदोलन को बदनाम करने और बदनाम करने की सरकार की कोशिशों की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है: "भारी कठिनाइयों को पार करते हुए और किसानों के महान बलिदान के साथ, किसान आंदोलन सफल हुआ। इस आंदोलन को विदेशी वित्त पोषित और आतंकवादी कृत्यों का आरोप लगाकर इस तरह के बलिदान को कम करना सरकार के अहंकार, अज्ञानता और जन–विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।"

http://hindi.cgpi.org/24176

संसद का विशेष सत्र :

संसदीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता बहाल करने का प्रयास

18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था।

विशेष सत्र के एजेंडे में मुख्य विषय *"संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा – उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख"* पर चर्चा थी। विशेष सत्र के दूसरे दिन, संसद पुराने संसद भवन से उठकर नए संसद भवन में चली गई, जिसका उद्घाटन इसी वर्ष कुछ महीने पहले किया गया था। नए भवन में प्रस्तुत किया गया पहला विधेयक महिला आरक्षण विधेयक था, जिसे *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* का नाम दिया गया है। विधेयक को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया और लोकसभा में लगभग सर्वसम्मति से; केवल दो सदस्यों ने इसका विरोध किया। विशेष सत्र एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उसने अपना कामकाज पूरा कर लिया था।

"संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा – उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख" विषय पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जो लोग यह भविष्यवाणी करते रहे हैं कि हिन्दोस्तान में संसदीय लोकतंत्र नाक़ामयाब होगा, वे ग़लत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र ने यहां गहरी जड़ें जमा ली हैं और पिछले कुछ वर्षों में संसद अधिक से अधिक हद तक हिन्दोस्तानी समाज का प्रतिनिधित्व करने लगी है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र हिन्दोस्तान की पहली सरकार के समय से लेकर, एक के बाद एक आई सभी सरकारों द्वारा हिन्दोस्तान के विकास में योगदान की सराहना की। आज दुनिया में हिन्दोस्तान का रुतबा अतीत और वर्तमान के सभी के योगदान का परिणाम है। उन्होंने सभी पूर्व और वर्तमान संसद सदस्यों के योगदान की सराहना की, चाहे वे किसी भी पार्टी के रहे हों।

विशेष सत्र और प्रधानमंत्री के भाषण को कई विपक्षी दलों को कमज़ोर करने और नष्ट करने के भाजपा सरकार के हालिया प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विपक्षी दलों के व्यक्तिगत नेताओं को निशाना बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है। कट्टर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने के लिए और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के कांड बार–बार होते रहे हैं। सरकार के आलोचकों को जेल में डालने के लिए यू.ए.पी.ए. जैसे कठोर क़ानूनों का उपयोग करके, भाजपा सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर व्यवस्थित रूप से हमला कर रही है। इस बात की व्यापक चिंता है कि यदि भाजपा 2024 के आम चुनाव जीतती है, तो वह हिन्दोस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को फिर से लिखेगी, समान नागरिक संहिता पारित करेगी, एक देश–एक चुनाव की स्थापना करेगी, संसदीय व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रपति शासन–व्यवस्था वाली सरकार लाएगी और राज्यों की शक्तियों में और कटौती करेगी। इनमें से कई मोर्चों पर भाजपा और उसके सहयोगी संगठन पहले से ही अभियान चला रहे हैं।

संसद का विशेष सत्र भाजपा की छवि को फिर से सजाने–संवारने का एक प्रयास था। बार–बार संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर और संविधान सभा, पिछली सभी सरकारों और संसद के योगदान की सराहना करके, प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के प्रचार को कुंद करने की कोशिश की कि वे संसदीय लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री के भाषण का एक मुख्य उद्देश्य, हिन्दोस्तान और दुनिया के सरमायदारों को यह आश्वासन देना था कि भाजपा पर, हुक्मरान वर्ग की एक ज़िम्मेदार पार्टी बतौर, भरोसा किया जा सकता है, जो हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को डगमगाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी।

भाजपा सरकार ने जानबूझकर इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि इसे अधिकांश राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा।

विशेष सत्र को हाल के वर्षों में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गिरती विश्वसनीयता के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। संसद में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के आपस बीच बेहद विरोधी संबंधों के कारण संसदीय व्यवस्था की विश्वसनीयता कमज़ोर हो गई है।

हाल के वर्षों में, संसद में चर्चा के बिना ही विधेयक पारित कर दिए गए हैं। संसद का कामकाज नियमित रूप से बाधित होता रहा है और सत्तारूढ़ व विपक्षी पार्टियां इस तरह के व्यवधानों के लिए एक–दूसरे को दोषी ठहराती रही हैं। व्यापक जनसमूह के बीच, संसद तेज़ी से बदनाम होती जा रही है। मज़दूरों और किसानों की चिंताओं पर संसद में चर्चा तक नहीं की जाती, जैसा कि तब हुआ था जब 2020 में तीन किसान–विरोधी क़ानून और चार मज़दूर–विरोधी श्रम कोड पारित किए गए थे।

सच तो यह है कि मौजूदा व्यवस्था को लोगों के लिए विश्वसनीय और स्वीकार्य बनाना संभव नहीं है। संसदीय लोकतंत्र हमेशा ही शोषक अल्पसंख्यक, सरमायदार वर्ग का लोकतंत्र रहा है। जैसे–जैसे उत्पादन के साधन कम से कम हाथों में केन्द्रित होते जा रहे हैं, वैसे–वैसे फ़ैसले लेने की शक्ति भी ज्यादा से ज्यादा केन्द्रित होती जा रही है। संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता, यानि आबादी के अधिकतम भाग को निर्णय लेने की शक्ति से वंचित करती है। सभी प्रकार के विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए पुलिस द्वारा बलप्रयोग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।

वर्तमान हालतें बुनियादी परिवर्तन की मांग कर रही हैं – सरमायदारी लोकतंत्र से श्रमजीवी लोकतंत्र तक परिवर्तन। श्रमजीवी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें मेहनतकश बहुसंख्यक लोग फ़ैसले लेने की शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे। मज़दूरों और किसानों को अपने भरोसेमंद लोगों का चयन करने और चुनने में, उन्हें जवाबदेह ठहराने और जनहित के ख़िलाफ़ काम करने पर उन्हें वापस बुलाने में सक्षम होना होगा।

http://hindi.cgpi.org/24161

हवाना में जी–77 का शिखर सम्मेलन :

134 देशों के सम्मेलन ने वर्तमान विश्व–व्यवस्था में निहित अन्यायों को उजागर किया

15–16 सितंबर को "ग्रुप–77" (जी–77) से जुड़े 134 देशों के प्रतिनिधि मंडल क्यूबा की राजधानी हवाना में मिले। 1964 में 77 सदस्य देशों ने साथ मिलकर, जी–77 का गठन किया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी सदस्यता बढ़ती गई है और अब 134 देश इसके सदस्य बन गये हैं। वे दुनिया की 80 प्रतिशत आबादी और संयुक्त राष्ट्र संघ के दो–तिहाई सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा भी उन्हीं के पास है।

सबसे बड़ी पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभुत्व में और उनके द्वारा खुद के साम्राज्यवादी एजेंडे को दुनिया पर थोपने वाली व्यवस्था में, जी–77 के गठन के पीछे एक विचार यह भी था कि – इसके ज़रिये "अन्य देशों की आवाज़ सुनिश्चित करना, अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट रूप से पेश करना तथा उनको बढ़ावा देना और उनकी सामूहिक, सबके द्वारा मिलकर बातचीत के द्वारा समझौता करने की क्षमता को बढ़ाना" संभव हो सकता है।

हालांकि चीन जी–77 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसने जी–77 समूह के फ़ैसलों तथा उनकी गतिविधियों का समर्थन किया है। चीन ने उसके सम्मेलनों में भी "जी–77 तथा चीन" के एक हिस्से के रूप में भाग लिया है।

नई दिल्ली में हुये जी–20 के शिखर सम्मेलन के ठीक एक सप्ताह बाद, हवाना में जी–77 की मीटिंग आयोजित की गई थी। इस वर्ष जी–77 के अध्यक्ष के रूप में क्यूबा ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देशों द्वारा दुनिया पर उनके प्रभुत्व का जिक्र करते हुए, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज–कैनेल ने उद्घाटन सत्र के दौरान कहा कि : "इतने समय के बाद जब उत्तर (नार्थ) ने दुनिया को अपने हितों के अनुसार संगठित किया है, अब ज़रूरत है कि दक्षिण (साउथ) के देश इस खेल के नियम बदलें।"

हवाना में हुये इस शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों और राज्यों के प्रमुखों ने भाग लिया। हालांकि इस सम्मेलन में न तो हिन्दोस्तान के प्रधानमंत्री और न ही किसी अन्य मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया। हिन्दोस्तानी सरकार ने विदेश मंत्रालय से केवल एक जूनियर अधिकारी को भेजने का फ़ैसला किया था। वर्तमान सरकार द्वारा खुद को "ग्लोबल साउथ की आवाज़" बुलंद करने वाले के रूप में स्थापित करने के दावों के बावजूद, यह फ़ैसला लिया गया था। इस हक़ीक़त की जानकारी होने के बावजूद भी कि जी–77 विकासशील देशों का सबसे बड़ा समूह है, सामूहिक रूप से जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है।

इस वर्ष के सम्मेलन का विषय था – "दुनिया के अधिकांश देशों के सामने आने वाली वर्तमान विकास की चुनौतियों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नयी खोज एवं नवाचार की भूमिका"। इसमें क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स ने कहा कि : "वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण खाई और असमानताओं में से एक इस हक़ीक़त पर भी ग़ौर करने की ज़रूरत है कि ज्ञान और विज्ञान विकसित करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहुंच की प्रक्रियाओं से, ग्लोबल साउथ के देशों को बाहर रखा गया है।"

शिखर सम्मेलन के अंत में अपनाये गये हवाना–घोषणापत्र में मांग की गई कि "जिन राज्यों का इंटरनेट सहित, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर प्रधानता और प्रभुत्व है, उन्हें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में लगातार होने वाली प्रगति का इस्तेमाल, अन्य राज्यों के वैध–आर्थिक और तकनीकी विकास के ऊपर नियंत्रण और दमन के लिए एक हथियार के रूप में नहीं करना चाहिए।"

इस घोषणापत्र ने "नए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को पैदा करने की हालतों,

शेष पृष्ठ 5 पर

अनौपचारिक मज़दूरों के अधिकारों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क़दम

मज़दूर एकता लहर के संवाददाता की रिपोर्ट

अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों के लिए एक व्यापक क़ानून बनाने पर काम करने वाले एक समूह (वर्किंग ग्रुप) ने 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को नई दिल्ली में परामर्श व योजना के लिये एक मीटिंग आयोजित की। यह मीटिंग देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाने वाली ऐसी तीन मीटिंगों में से दूसरी है। पहली परामर्श व योजना मीटिंग 2–3 सितंबर को बेंगलुरू में हुई थी और तीसरी 14–15 अक्तूबर को मुंबई में होगी।

इस मीटिंग में ट्रेड यूनियनों और अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मीटिंग में मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

परामर्श व योजना मीटिंग का उद्देश्य था अनौपचारिक मज़दूर संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों के लिए प्रस्तावित सामान्य क़ानूनी ढांचे और क्षेत्रीय क़ानूनों पर चर्चा करना। इन क़ाननों पर, इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई कि प्रस्तावित क़ानून का उद्देश्य – अनौपचारिक कार्यों में आई.एल.ओ. के मुख्य श्रम मानकों को सुनिश्चित करना होना चाहिए; विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक कार्यों के लिये काम करने की उचित परिस्थितियों की गारंटी देना; पर्याप्त व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करना; इन बुनियादी मांगों को लेकर विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रों में मज़दूरों की एकता को मजबूत करना। मीटिंग में इन मांगों को हासिल करने के लिए, एक राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित करने की योजना पेश की गई।

उद्घाटन सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पी.एल.एफ.एस. (आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण) के आंकड़ों के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के 98.18 प्रतिशत मज़दूर और संगठित क्षेत्र के 46.70 प्रतिशत मज़दूर बिना किसी औपचारिक कार्य अनुबंध के अनौपचारिक मज़दूर हैं। अनौपचारिक मज़दूरों में एक बड़ा हिस्सा महिलाएं हैं और अनौपचारिक काम सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इन मज़दूरों को बुनियादी श्रम सुरक्षा के दायरे से लगातार बाहर रखा गया है, जिसमें सामूहिक रूप से सौदेबाजी का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों का विनियमन शामिल है। निर्माण, बीड़ी और नमक उद्योगों के मज़दूरों ने लंबे संघर्ष के ज़रिये कुछ क़ानूनी सुरक्षा और अधिकार हासिल कर लिए हैं, लेकिन अनौपचारिक मज़दूरों के कई अन्य तबकों के अधिकारों की अभी भी कोई क़ानूनी मान्यता या सुरक्षा नहीं है।

भाग लेने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि हिन्दोस्तान की सरकार द्वारा तैयार किये गये, चार लेबर कोड ने न केवल अनौपचारिक मज़दूरों के विभिन्न तबकों के लिए कई मौजूदा क़ानूनों को ख़त्म कर दिया है, बल्कि अधिकांश अनौपचारिक मज़दूरों को भी इसके दायरे से बाहर कर दिया है। इन चार लेबर कोड ने मज़दूरों के उन अधिकारों को भी छीन लिया है, जिन्हें उन्होंने कठिन संघर्ष करके हासिल किया था।

मीटिंग में आये भागीदारों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मज़दूरों द्वारा जीते गए अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए, सभी प्रकार के अनौपचारिक मज़दूरों के लिए एक व्यापक क़ानून के लिए अभियान चलाने की तत्काल आवश्यकता है।

अनौपचारिक मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित क़ानून का एक मसौदा चर्चा के लिए पेश किया गया। मसौदे में उठाई गई मांगें थीं – हर जिले में अनौपचारिक मज़दूरों के पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए एक क़ानूनी ढांचा हो; अनौपचारिक मज़दूरों की ट्रेड यूनियनों का गठन हो और उन्हें आधिकारिक मान्यता हो; मज़दूरों और नियोक्ताओं के बीच सामूहिक रूप से सौदेबाजी की जा सके और विवादों का समाधान हो; प्रत्येक जिले और राज्य में लेबर काउंसिलें हों; सामाजिक सुरक्षा; कामकाजी परिस्थितियों का विनियमन; व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, आदि।

विभिन्न सहभागी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपने–अपने कार्यक्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं पर प्रकाश डाला तथा क़ानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। विशेष रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा के साथ–साथ सभी क्षेत्रों में महिला मज़दूरों के लिए क्रेच की सुविधाओं के प्रावधान का मुद्दा उठाया गया और इन्हें मसौदा क़ानून में शामिल करने की मांग की गई। सरकारी क्षेत्र के संविदा कर्मियों और आशा, आंगनवाड़ी और अन्य सरकारी योजनाओं में काम करने वाले मज़दूरों सहित उनके अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

अनौपचारिक मज़दूरों के मुख्य तबके जिनकी समस्याओं को मीटिंग में चर्चा के लिए उठाया गया उनमें शामिल हैं – (1) कृषि मज़दूर, (2) घरों में काम करने वाले मज़दूर (3) वन मज़दूर, (4) मछली पालन मज़दूर, (5) निर्माण–ईंट भट्ठा व पत्थर खदान मज़दूर, (6) मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मज़दूर, (7) हथकरघा तथा बिजली के करघे चालाने वाले मज़दूर, (8) घरेलू कामगार, (9) हेयरड्रेसर और धोबी जैसे काम करने वाले, (10) प्रवासी मज़दूर (11) बंधुआ मज़दूर (12) सफाई मज़दूर (13) कूड़ा बीनने वाले (14) सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों में काम करने वाले मज़दूर (15) बाज़ारों में सामान ढोने वाले मज़दूर (16) ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक (17) फेरीवाले व दुकानदार और (18) गिग तथा प्लेटफार्म मज़दूर। इन विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों की प्रमुख मांगों पर अलग–अलग समूहों में चर्चा की गई कि इन मज़दूरों को नए क़ानून में कैसे शामिल किया जा सकता है, इसके लिए प्रस्ताव दिए गए।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर आयोजित एक विशेष सत्र में, तमिलनाडु में अनौपचारिक मज़दूरों के संगठनों के संघर्ष के अनुभव और उनकी उपलब्धियों को साझा किया गया। सामाजिक सुरक्षा पर किये गये एक अन्य सत्र में तमिलनाडु और केरल के मज़दूरों के अनुभव साझा किये गये।

मीटिंग इस संकल्प के साथ समाप्त हुई कि उठाए गए प्रस्तावों पर वर्किंग ग्रुप द्वारा विचार किया जाएगा और मसौदा क़ानून में शामिल किया जाएगा।

http://hindi.cgpi.org/24152

नई शिक्षा नीति को रद्द करो

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता का रिपोर्ट

8 अक्तूबर, 2023 को दिल्ली में छात्रों और नौजवनों ने नई शिक्षा नीति को रद्द किए जाने तथा सभी के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोज़गार सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से छात्र व नौजवान शामिल हुए।

सम्मेलन में छात्रों व नौजवानों ने प्लाकार्ड ले रखे थे, जिन पर लिखा था – 'शिक्षा हमारा बुनियादी अधिकार है!', 'हर हाथ को काम दो!', 'सुनिश्चित रोज़गार हमारा बुनियादी अधिकार है!', 'शिक्षा का निजीकरण बंद करो!', 'स्थाई व सम्मानजनक रोज़गार दो!', 'पाठ्यक्रम में अवैज्ञानिक बदलाव बंद करो!', 'जाति, धर्म और लिंग पर आधारित भेदभाव ख़त्म करो!', 'छात्र–विरोधी नई शिक्षा नीति को रद्द करो!', आदि।

सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के निजीकरण के कारण देश की अधिकतम आबादी के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित होने की कगार पर पहुंच जायेंगे।

सम्मेलन में नई शिक्षा नीति–2020 को रद्द करने और सभी के लिए स्थायी व सम्मानजनक रोज़गार दिलाने के लिए आंदोलन को और तेज़ करने का संकल्प लिया गया।

सम्मेलन का आयोजन कलेक्टिव, परिवर्तनकामी छात्र संगठन सहित छात्रों व नौजवानों के 12 संगठनों ने संयुक्त रूप से किया।

http://hindi.cgpi.org/24141

रेल चालकों का धरना

मजदूर एकता कमेटी के संवाददाता का रिपोर्ट

10 अक्तूबर, 2023 को दिल्ली के जंतर–मंतर पर रेल चालकों ने 'हंगर फास्ट' के तहत एक धरना का आयोजन किया। इस धरना का आयोजन आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) द्वारा किया गया।

'हंगर फास्ट' के इस कार्यक्रम में उत्तरी रेलवे के विभिन्न मंडलों से आये रेल चालकों ने हिस्सा लिया। रेल चालकों ने अपनी मुख्य मांगों को लेकर उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उठाई गई मुख्य मांगों में शामिल है – अगली ड्यूटी शुरू होने से पहले पर्याप्त विश्राम मिले; शंटिंग सुपरवाइज़र के बिना किसी भी शंटिंग कार्य को रोका जाये; मंडल की सभी लॉबियों में मूलभूत सुविधायें, शुद्ध पीने का पानी एवं स्वच्छ टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध हो; और महिला रनिंग स्टाफ के लिए महिला टॉयलेट उपलब्ध कराया जाए, पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो; आदि।

विदित रहे कि रेल चालक रेलवे में हो रही दुर्घटनों से काफी चिंतित हैं। उन्होंने मांग की है कि रेल चालकों के खाली पदों को भरा जाये, ताकि लोको पायलट को बिना आराम किये 14–14 घंटे तक गाड़ी न चलानी पड़े।

http://hindi.cgpi.org/24146

देशभर में सभाएं आयोजित करके मज़दूरों और किसानों ने अपनी मांगें रखीं

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

3 अक्तूबर, 2023 को देशभर में मज़दूरों और किसानों के संगठनों ने संयुक्त रूप से सभाएं आयोजित कीं। इन सभाओं में मज़दूरों और किसानों के संगठनों ने अपनी संयुक्त मांगों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष को तेज़ करने का बुलावा दिया।

विदित रहे कि 24 अगस्त, 2023 को तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय मज़दूर किसान का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में मज़दूरों और किसानों की संयुक्त मांगों को लेकर देशभर में आंदोलन को चरणबद्ध तरीक़े से तेज़ करने का फ़ैसला लिया था। इस आंदोलन की अगली कड़ी में, 3 अक्तूबर को देशभर में विरोध दिवस के रूप में मनाना तय किया गया था। याद रखें कि 2 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान, 3 अक्तूबर को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों व एक पत्रकार को मार डाला गया था।

इस अवसर पर दिल्ली में मज़दूरों और किसानों के संगठनों ने मिलकर संसद मार्ग पर प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन

में मज़दूरों के साथ–साथ किसानों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की।

इस प्रदर्शन का आयोजन संयुक्त रूप से एटक, सीटू, मज़दूर एकता कमेटी, ए.आई.यू.टी.यू.सी., एच.एम.एस., ए.आई.सी.सी.टी.यू., आई.सी.टी.यू. और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया था।

सभी वक्ताओं ने एक आवाज़ में यह मांग की कि लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी के पिता केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने पद से तुरंत इस्तीफ़ा दें।

वक्ताओं ने मांग की कि सभी मज़दूरों को 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन मिले, 10,000 रुपए मासिक पेंशन लागू हो, सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाई जाये, सरकारी क्षेत्रों में नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन को रद्द किया जाये, सभी के लिये सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाये। किसानों को अपनी फ़सल की लागत का डेढ़ गुना दाम मिले, सभी फ़सलों के लिये एम.एस.पी. की गारंटी लागू हो, किसानों पर लगाये गये मुक़दमे वापस लिये जायें, आदि।

मंच से आह्वान किया गया कि मज़दूरों और किसानों की मांगों को लेकर हर राज्य की राजधानी में 26 से 28 नवम्बर को तीन दिन का महापड़ाव आयोजित किया जाएगा।

इस प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में थे – एटक से विद्या सागर गिरी, आल इंडिया किसान सभा से हन्नन मौल्लाह, सीटू से अनुराग सक्सेना, मज़दूर एकता कमेटी से संतोष कुमार, एच.एम.एस. से नारायण सिंह, ए.आई.यू.टी.यू.सी. से भास्कर, ए.आई.सी.सी.टी.यू. से संतोष राय, आल इंडिया किसान सभा–ग्रेटर नोएडा से रूपेश वर्मा, यू.टी.यू.सी. से मानवेन्द्र सिंह, आई.सी.टी.यू. से श्रीनाथ, ओल्ड पेंशन स्कीम आंदोलन से डा. कमल, आदि।

http://hindi.cgpi.org/24138

अमरीकी आयातों पर लगने वाले शुल्कों में कटौती के ख़िलाफ़ किसानों का विरोध प्रदर्शन

हिन्दोस्तान में अमरीका से आयात किये जाने वाले कई कृषि और पोल्ट्री उत्पादों पर लगने वाले शुल्कों की दरों में हाल ही में की गई कटौती की घोषणा के बाद, कई किसान संगठनों ने इसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाई है। इन आयात किये जाने वाले उत्पादों में चना, मसूर दाल, सेब, अखरोट, बादाम, चिकन लेग और चिकन लीवर शामिल हैं।

इन वस्तुओं के आयात शुल्क में 10–20 प्रतिशत की कटौती करने का फ़ैसला, अमरीकी और हिन्दोस्तानी सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुसार है। ये समझौते प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका और राष्ट्रपति बाइडन की हिन्दोस्तान की हालिया यात्राओं के दौरान हुए थे।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक श्री बीजू ने कहा कि, "संयुक्त किसान मोर्चा (गैर–राजनीतिक) ने प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री को पत्र भेजकर आयात शुल्क में की गई कमी को रोकने की मांग की है। हमने उनसे आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया है। लेकिन हमें अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हितों को पीछे छोड़ देगी।"

अमरीका वैश्विक स्तर पर चना और मसूर का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। हिन्दोस्तान में दालों की मांग बढ़ रही है और हमारे देश के किसान इस मांग को पूरा करने के लिए, दालों की उपज को बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में, चना और मसूर के आयात शुल्क को कम करने से इन किसानों की उपज की क़ीमतें कम हो जाएंगी।

सेब के आयात पर शुल्क घटाने से जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के हितों को नुक़सान होगा। जब घरेलू सेब की फ़सल बाज़ार में पहुंचेगी, तभी लाखों पेटी अमरीकी सेब देश में आ जायेंगे। इससे सेब की क़ीमतें कम होने की आशंका है, जिससे उत्पादकों को भारी नुक़सान होगा।

अमरीका के बाद, हिन्दोस्तान अखरोट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्वभर में अखरोट के निर्यात में हिन्दोस्तान का 38 प्रतिशत हिस्सा है। 2017 में अखरोट पर आयात शुल्क में की गई वृद्धि के कारण अमरीकी आयात में भारी गिरावट आई थी, जिससे हिन्दोस्तानी अखरोट उत्पादकों को काफ़ी मदद मिली थी। अब आयात शुल्क में कटौती करने से अमरीकी अखरोट के आयात में तेज़ी आने की संभावना है, जिससे घरेलू उत्पादकों की आजीविका पर ख़तरा मंडरा रहा है। यही हाल बादाम का भी है।

चिकन लेग और लीवर पर आयात शुल्क में कटौती करने से इन वस्तुओं के हमारे देश में फेंके जाने की संभावना है, जो अमरीका में लोकप्रिय नहीं हैं। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रणपाल ढांडा ने द हिंदू अख़बार से बात करते हुए कहा कि उनका संगठन हिन्दोस्तानी सरकार के इस एकतरफ़ा फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में छोटे और मध्यम पोल्ट्री उत्पादकों की बर्बादी की क़ीमत पर बड़ी अमरीकी कंपनियों को मुनाफ़ा कमाने की इजाज़त दे रही है।

हिन्दोस्तानी सरकार यह कह कर अपने फ़ैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रही है कि कुछ स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने के अमरीकी सरकार के फ़ैसले के जवाब में जून 2019 में इन उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया था। अब दोनों सरकारें उन शुल्कों की वृद्धि को वापस लेने पर सहमत हो गई हैं। इसे व्यापार विवाद का समाधान बताकर एक सकारात्मक क़दम के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि, जिन लोगों को इससे लाभ होने वाला है – वे हिन्दोस्तानी पूंजीवादी कंपनियां हैं, जो स्टील और एल्युमीनियम का निर्यात करती हैं। इससे उन अमरीकी कंपनियों को लाभ होगा, जो पोल्ट्री और कृषि उत्पादों का निर्यात करती हैं। इससे हमारे देश के किसानों और अन्य छोटे पैमाने के उत्पादकों को नुक़सान उठाना पड़ेगा।

http://hindi.cgpi.org/24123

हवाना में जी–77 का शिखर सम्मेलन

पृष्ठ 3 का शेष

संभावनाओं और क्षमताओं के संदर्भ में विकसित और विकासशील देशों के बीच मौजूदा असमानताओं" की ओर ध्यान आकर्षित किया और तकनीकी रूप से उन्नत शक्तियों से "विकासशील देशों की ज़रूरतों, उनकी राष्ट्रीय आवश्यकताओं, नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार उनको तत्काल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; अतिरिक्त एवं पूर्वानुमानित तथा नए संसाधनों के ज़रिये तकनीकी सहायता, क्षमता–निर्माण और वित्तपोषण जैसी प्रक्रियाओं के साधन जुटाने" का आह्वान भी किया।

अन्य मुद्दों के अलावा, जी–77 की बैठक में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार और "वैश्विक वित्तीय प्रशासन के लिए अधिक समावेशी और समन्वित दृष्टिकोण" का आह्वान भी किया गया।

इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया – जी–77 में प्रतिनिधित्व करने वाले देशों ने ऐसे अन्य देशों पर एकतरफ़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया, जो अमरीका और अन्य बड़ी ताक़तों की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते। बैठक में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि : "हम विकासशील देशों के ख़िलाफ़, एकतरफ़ा प्रतिबंधों सहित बाह्य–क्षेत्रीय प्रभाव वाले क़ानूनों एवं विनियमों और अन्य सभी प्रकार के जबरदस्ती थोपे जाने वाले आर्थिक प्रतिबंधों को अस्वीकार करते हैं और उन्हें ख़त्म करने की तत्काल आवश्यकता को दोहराते हैं।"

यह महत्वपूर्ण है कि यह संदेश क्यूबा से दिया गया है, जो 1962 से लगातार अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करता आ रहा है और उसको इन प्रतिबंधों के ज़रिये काफ़ी तबाह किया गया है।

जी–77 का हवाना शिखर सम्मेलन, अमरीकी साम्राज्यवाद और अन्य बड़ी शक्तियों द्वारा अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके स्थापित और क़ायम की गई अन्यायपूर्ण और असमान विश्व व्यवस्था के प्रति दुनिया के अधिकांश देशों के बढ़ते असंतोष का प्रतिबिंब है। दुनिया के लोगों के बीच यह चेतना बढ़ रही है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के नियम और संस्थाएं, अमीर और शक्तिशाली लोगों के हितों की सेवा करती हैं और अधिकांश लोगों के हितों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए, उन्हें तुरंत बदलने की आवश्यकता है।

http://hindi.cgpi.org/24150

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Oct, 2023, Date of publish - 16 Oct, 2023

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

हरियाणा के करनाल में आशा कर्मियों ने विशाल रैली की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

8 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के जिला करनाल के हुडा ग्राउंड में आशा कर्मियों सहित अन्य मज़दूरों ने विशाल रैली की। उन्होंने इस रैली को 'ललकार रैली' के नाम से किया था। इस रैली का आयोजन सीटू, खेत मज़दूर सभा, आशा वर्कर यूनियन ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी शामिल हुये। रैली में 30 हजार से ज्यादा – आशा कर्मी, आंगनवाड़ी, मिड डे मील मज़दूर, ग्रामीण सफ़ाई मज़दूर, भवन निर्माण मज़दूर, चौकीदार, वन मज़दूर और खेत मज़दूर शामिल हुये।

इस रैली में मज़दूर एकता कमेटी के साथी शामिल हुये।

वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि, हरियाणा में आशा कर्मियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और समस्याओं का समाधान करने की बजाय, उनका दमन किया जा रहा है। इसी तरह का दमन आंगनवाड़ी कर्मियों का भी किया गया था।

वक्ताओं ने सार्वजनिक संस्थानों के किये जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने की मांग करते हुये बताया कि सरकार देश के सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्र को बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। स्थाई भर्ती न करके ठेके पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने उठाया की नई शिक्षा नीति–2020 के ज़रिये शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिसकी वजह से देश की अधिकतर आबादी शिक्षा से वंचित हो जायेगी। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है और आयुष्यमान भवः जैसी योजना के द्वारा सरकारी खजाने को प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लुटवाने का काम किया जा रहा है। सरकार बिजली बिल 2023 के ज़रिये प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि, लोगों के बीच में सांप्रदायिक और जातीय नफ़रत का वातावरण बनाकर, मज़दूरों की एकता को तोड़ा जा रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों और लोगों की आवाज़ को बुलंद करने वाले मीडिया संस्थानों पर हमले किये जा रहे हैं।

रैली के अंत में हरियाणा सरकार को एक मांगपत्र भी दिया गया, जिसमें प्रमुख मांगें शामिल हैं – सबके लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हो; राज्य में न्यूनतम वेतन रिवाइज करके 26,000 रुपये मासिक किया जाए; विभिन्न सरकारी स्कीमों में काम करने वाले मज़दूरों, कच्चे कर्मचारियों, ठेका कर्मियो को स्थाई किया जाए; मज़दूर–विरोधी लेबर कोडों को रद्द किया जाये और ठेका प्रथा ख़त्म की जाए; सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती की जाए; सभी फ़सलों की एम.एस.पी. पर ख़रीद की गारंटी दी जाये; बिजली बिल 2023 को रद्द किया जाए, आदि।

http://hindi.cgpi.org/24144

पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने रैली की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

1 अक्तूबर, 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'पेंशन शंखनाद रैली' का आयोजन किया गया। इस रैली में डेढ़ लाख से अधित कर्मचारी शामिल हुए। इस रैली का आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेशन स्कीम ने किया था। इस रैली में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे रेल, डाक, रक्षा, शिक्षा, बैंक, बीमा आदि के मज़दूर शामिल हुये। उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने व पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की अपनी मांग को पुरजोर तरीक़े से उठाया।

देशभर से आये मज़दूरों से पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ था। उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थीं, जिन पर लिखा था – 'पुरानी पेंशन बहाल करो!', 'निजीकरण मुर्दाबाद!', 'न ज्यादा, न कम, हमें चाहिए पुरानी पेंशन!', 'मज़दूर एकता ज़िंदाबाद!', 'एक ही मिशन, पुरानी पेंशन!', 'एन.पी.एस. गो बैक!' आदि।

रैली को संबोधित करते हुए विभिन्न संगठनों के नेताओं ने एक आवाज़ में नई पेंशन को ख़त्म करने तथा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग रखी। मंच से ऐलान किया गया कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन को और तेज़ किया जायेगा।

http://hindi.cgpi.org/24126

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का नया प्रकाशन

हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी एवं तमिल में उपलब्ध

मूल्य 50 रुपये (डाक खर्च के लिये 30 रुपये अलग से भेजें)

प्राप्त करने के लिये संपर्क करें :
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2,
नई दिल्ली – 110020,
फोन : 09810167911, वाट्सएप नम्बर 9868811998

UPI कोड से पेमेंट करें

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का

हिन्दी पाक्षिक अखबार

मज़दूर एकता लहर

WhatsApp
09868811998

वार्षिक शुल्क 150 रुपये, कृपया मनीआर्डर निम्न पते पर भेजिये :
श्री मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020
मज़दूर एकता लहर को मनीआर्डर से पैसा भेजने वाले सभी पाठकों से अनुरोध है कि पैसा भेजने के बाद हमें, इस नम्बर पर 09810167911 सूचित करें तथा एस.एम.एस. करें। ई-मनीआर्डर भेजते समय फार्म में अपना पूरा पता साफ-साफ भरें।